



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-349

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 313622 दिनांक 09/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Dinesh Dosaya S/o HARI NARAYAN DOSAYA	श्री लालाराम प्रजापत पुत्र श्री बाबूलाल छीपा	43	224.06 SQ. YARD	Cooperative	PATEL NAGAR (THE KRISHNA GNSS)	Name Transfer	आवेदक श्री दिनेश दोसाया पुत्र श्री हरिनारायण दोसाया द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर दी कृष्णा गृ0नि0स0स0 की योजना पटेल नगर के भूखण्ड संख्या 43 क्षेत्रफल 224.06 व0ग0 का नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। दी कृष्णा गृ0नि0स0स0 की योजना पटेल नगर के भूखण्ड संख्या 43 क्षेत्रफल 224.06 व0ग0 का पट्टा श्री लालाराम प्रजापत पुत्र श्री बाबूलाल छीपा के नाम जारी किया गया। तत्पश्चात् इनके द्वारा उक्त भूखण्ड का बैचान जरिये रजि0 विक्रय पत्र के



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

माध्यम से दिनांक
18.08.2022 को
श्रीमती मीना देवी
पत्नी श्री बाबूलाल
को कर दिया
गया। तत्पश्चात्
इनके द्वारा उक्त
भूखण्ड का बैचान
जरिये रजि0
विक्रय पत्र दिनांक
24.10.2024 को
आवेदक श्री दिनेश
दोसाया पुत्र श्री
हरिनारायण
दोसाया के नाम
जारी किया गया।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Dinesh Dosaya S/o HARI NARAYAN DOSAYA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।